न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–29 / 2021 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. भारती विश्नोई पुत्री मदनलाल पत्नि नरेन्द्रकुमार विश्नोई आयु वयस्क निवासी पातोला महादेव रोड़ पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)

– प्रार्थीया

बनाम

1. मदन लाल पिता सुखलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. नवीन पुत्र मांगीलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. गीता पुत्री मदनलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी ग्यारस माता मन्दिर के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. सीता पुत्री मदनलाल पत्नि चन्द्रप्रकाश जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी हरिजन बस्ती, विश्नोई मोहल्ला पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. पुष्पा पुत्री मदनलाल पत्नि भंवरलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी विश्नोई मोहल्ला, बड़ी हथाई के पास, पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. संजू पुत्री मदनलाल पत्नि भंवरलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी विश्नोईयो के मन्दिर के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)
8. उप–पंजीयक, भीलवाडा (राज०)
9. हितेश कुमार सिंघवी पिता महावीर कुमार सिंघवी निवासी चौबे मोहल्ला, पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. नवनीत कुमार पुत्र जगदीशप्रसाद सोमानी आयु वयस्क निवासी ई0–94 / 1 सुभाष नगर, भीलवाड़ा (राज०)
11. सत्यनारायण पुत्र देवीचंद विश्नोई आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. अर्पित जैन पुत्र अनिल कुमार जैन आयु वयस्क निवासी प्राध्यनगर, बिजयनगर, अजमेर जिला अजमेर (राज०)
13. मुन्नी देवी पुत्री श्री लक्ष्मी लाल विश्नोई पत्नी श्री हरिशंकर विश्नोई आयु वयस्क निवासी–पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. कान्ता पुत्री स्व० श्री लक्ष्मी लाल विश्नोई पत्नी स्व० श्री बद्री लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी नया समेलिया तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. जगदीश चन्द्र पुत्र स्व० श्री लक्ष्मी लाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा तहसील एंव जिला भीलवाडा (राज०)
16. कमला पुत्री स्व० श्री लक्ष्मी लाल विश्नोई पत्नी श्री गोपाल विश्नोई आयु वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
17. सीता पुत्री स्व० श्री लक्ष्मी लाल विश्नोई पत्नी श्री सुरेन्द्र विश्नोई आयु वयस्क निवासी पुर, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

21/4/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

18. कृष्ण चन्द्र विश्नोई पुत्र स्व० श्री लक्ष्मी लाल विश्नोई आयु वयसक निवासी आजादनगर, भीलवाड़ा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
19. राधा पुत्री स्व० श्री लक्ष्मी लाल विश्नोई पत्नी श्री ओमप्रकाश विश्नोई आयु वयस्क निवासी पुर तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

— विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 रा०टि०एक्ट
बाबत् घोषणा, इन्द्राज दूरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि० एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता—

1. श्री श्रवण सेन— प्रार्थीया
2. श्री अमित कोठारी — अप्रार्थी संख्या 1, 2, 9 व 12
3. श्री शिवसिंह चारण— अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 19
4. श्री भैरू लाल बाफना — अप्रार्थी संख्या 10 व 11
5. श्री छोटू लाल जाट — अप्रार्थी संख्या 6
6. पैरोकार सरकार
7. अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक 24/4/26

प्रार्थीया द्वारा दिनांक 15.09.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 29/2021 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ग्राम पुर प०ह० पुर प्रथम तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में खाता संख्या 3267 की आराजी संख्या 7750, 7751, 7752, 7753, 8277, 8278, 8279 कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टयर एवं खाता संख्या 3279 की आराजी संख्या 7748/1, 7749, 7767/1 कुल किता 03 कुल रकबा 1.1128 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज 1/2 हक व हिस्से में से प्रार्थीया के 1/6 हिस्सा के उपयोग—उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य से करावें, मौके से बेदखल नहीं करने, उक्त वादग्रस्त भूमि को रहन—बय—बक्षीस के माध्यम से अन्तरित व भारित नही करने, विपक्षी संख्या 07 उक्त भूमि के बाबत् नामान्तकरण नहीं खोले, विपक्षी संख्या 08 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करें, मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.07.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी का पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी व धारा 151 जाब्ता दीवानी का जवाब पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर पत्रावली वास्ते संशोधित प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई।

24/4/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीया द्वारा दिनांक 13.11.2025 को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उक्त उनवान का वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्री होगा।

प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की शामलाती. पैतृक कृषि आराजियात वाके ग्राम पुर प०ह० पुर प्रथम तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में खाता संख्या 3267 की आराजी संख्या 7750, 7751, 7752, 7753, 8277, 8278, 8279 कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टयर एवं खाता संख्या 3279 की आराजी संख्या 7748/1, 7749, 7767/1 कुल किता 03 कुल रकबा 1.1128 हैक्टयर भूमि स्थित है।

प्रार्थीया एवं विपक्षीगण का पारिवारीक सजरा निम्न प्रकार हैः–

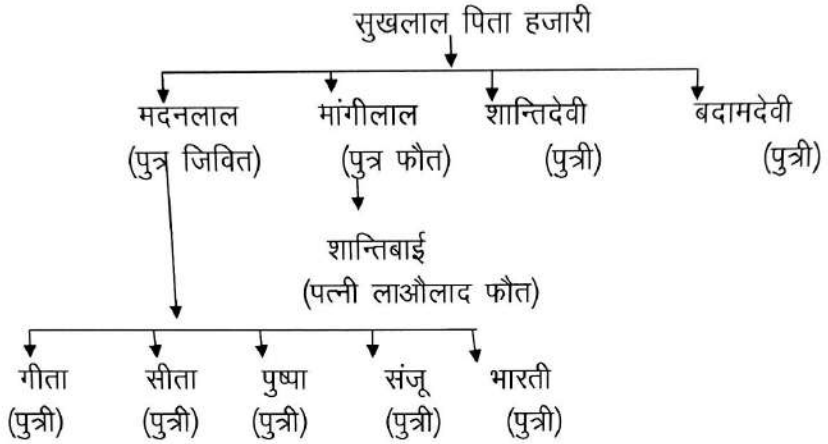

वादपत्र में वर्णित सजरे के अनुसार प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के परिवार में मुख्य पुरूष सुखलाल पिता हजारी जी थे, जिनके वारीस 02 पुत्र मदनलाल व मांगीलाल हुऐ व 02 पुत्रीयां शान्तिदेवी, बदामदेवी हुई, मांगीलाल व इनकी पत्नि शान्तिबाई लाऔलाद फौत हुए, मदनलाल जिवित है जो कि विपक्षी संख्या 01 है, मदनलाल के 05 पुत्रीयां गीता, सीता, पुष्पा, संजू, भारती हुई, भारती प्रार्थीया है एवं गीता, सीता, पुष्पा, संजू, विपक्षी संख्या 03 लगायत 06 है जो कि सुखलाल की पौत्रीयां है, ग्राम पुर में स्थित कृषि भूमि सुखलाल पिता हजारी की है, जिसकी विरासत से 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 मदनलाल को एवं 1/2 हिस्सा मांगीलाल को प्राप्त हुआ, प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 03 लगायत 6, विपक्षी संख्या 01 की पुत्रीयां होकर सुखलाल पिता हजारी की पौत्रीयां है. जिनका जन्म से ही हक व अधिकार होकर दादाजी की सम्पति में बराबर हक हिस्सा एवं अधिकार प्राप्त है, किन्तु सुखलाल की विरासत में विपक्षी संख्या 01 मदनलाल कर्ता खान दान होने से उक्त भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज हुई, जो कि पैतृक सम्पति है, पैतृक सम्पति में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 03 लगायत 06 अपने हक व हिस्से अनुसार यानि विपक्षी संख्या 01 के नाम सुखलाल की विरासत से दर्ज हुऐ हक व हिस्से की भूमि में 1/6 हिस्सा अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करती आ रहा है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज नहीं होने से, उक्त विवादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर सुखलाल की विरासत से दर्ज हक व हिस्से में से प्रार्थीया अपने 1/6 हिस्सा की घोषणा करवा, राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी करवावें तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

24/4/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजी संख्या 7750, 7751, 7752, 7753, 8277, 8278, 8279 कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 01 मदनलाल का 2/3 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है एवं खाता संख्या 3279 की आराजी संख्या 7748/1, 7749, 7767/1 कुल किता 03 कुल रकबा 1.1128 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 01 मदनलाल का 1/6 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है, उक्त वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 01 मदनलाल के नाम पर सुखलाल की विरासत से दर्ज हुऐ हक व हिस्से में से 1/6 हिस्सा अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करती आ रहा है, विपक्षी संख्या 01 के कोई पुत्र संन्तान नही है, केवल मात्र पुत्रीयां, प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 03 लगायत 06 है, विपक्षी संख्या 01 के पुत्र सन्तान नही होने एवं राजस्व रेकॉर्ड में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है व प्रार्थीया को कोई हक व हिस्सा नही देना चाह रहे है तथा विपक्षी संख्या 01 अफीम एवं नशा पता का आदि है, वृद्धावस्था होकर सोचने समझने की शक्ति कमजोर है तथा विपक्षी संख्या 01 विपक्षी संख्या 02 के बहकावें में है तथा विपक्षी संख्या 02 विपक्षी संख्या 03 का पुत्र है जिसके पिता का नाम ओमप्रकाश है किन्तु विपक्षी संख्या 02 ने अपनी वल्दियत में गलत नाम मांगीलाल का दर्ज करवा, विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी संख्या 01 से वादग्रस्त आराजियात 7750, 7751, 7752, 7753, 8277, 8278, 8279 कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टयर भूमि में निहित 2/3 सम्पूर्ण हक व हिस्से का उपहार अपने पक्ष में करवा लिया जिसमें प्रार्थीया के हक व हिस्से को भी उपहार में दे दिया गया व उसके आधार पर विपक्षीगण नामान्तकरण खुलवा व प्रार्थीया को, प्रार्थीया के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर अन्य व्यक्तियो को विक्रय कर देने की धमकी दिनांक 05.09.2021 को दी, इसलिए प्रार्थीया को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थीया की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध घौषणा इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

विवादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 02 को विपक्षी संख्या 01 से उपहार के जरिए प्राप्त हक व हिस्से की भूमि में से विपक्षी संख्या 02 ने आराजी नम्बर 7750 रकबा 0.4932 हैं0, 7751 रकबा 0.5311 है0 7752 रकबा 0.0759 हैं०, 7753 रकबा 0.0506 हैं0, 8277 रकबा 0.2529 हैं0, 8278 रकबा 0.5311 हैं0, 8279 हैं0 कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैं0 में से 16/31 वां हिस्से की भूमि को विपक्षी संख्या 09 को विक्रय कर दी है, जो कि प्रारम्भ से ही प्रार्थीया के हक व हिस्से तक अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, जिसकी घौषणा की जायें तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

प्रार्थीया विरूद्ध विपक्षीगण के बिनाय वाद कारण विपक्षीगण द्वारा उपहार पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवा, मौके से बेदखल कर, अन्य व्यक्तियो को विक्रय कर देने की धमकी दिनांक 05.09.2021 को देने की दिनांक से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है चूँकि उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पत्ति है, जो कि विपक्षी संख्या 01 नाम पर दर्ज हक व हिस्से में प्रार्थीया का 1/6 हिरसा निहित है, उसी अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करते आ रही है लेकिन विवादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा, विपक्षी संख्या 02 ने, विपक्षी संख्या 01 से अपने पक्ष में उपहार पत्र निष्पादित करवा लिया व उसके आधार पर नामान्तकरण खुलवा, प्रार्थीया के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करने पर आमादा है। यदि विपक्षीगण द्वारा उपहार पत्र के आधार पर नामान्तकरण खुलवा, मौके से बेदखल कर, अन्य व्यक्तियो को अन्तरित कर दिया गया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा, जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना अस्मभव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को ही उठानी पड़ेगी। अतः प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया को ही उठानी पड़ेगी, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है।

24/4/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि० एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि ग्राम पुर प०ह० पुर प्रथम तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०) के खाता संख्या 3267 में स्थित आराजी नम्बर 7750 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, 7751 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, 7752 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, 7753 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, 8277 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, 8278 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, 8279 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल कित्ता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टेयर में विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज 2/3 हक व हिस्से में से प्रार्थीया के 1/6 हिस्सा के एवं खाता संख्या 3279 में स्थित आराजी नम्बर 7748/1 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, 7749 रकबा 0.8852 हैक्टेयर, 7787/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.1128 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज 1/6 हक व हिस्से में से प्रार्थीया के 1/6 हिस्सा के उपयोग–उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य से करावें, मौके से बेदखल नहीं करें, उक्त भूमि को रहन–बय–बक्षीस के माध्यम से अन्तरित व भारित नहीं करें, विपक्षी संख्या 07 उक्त भूमि के बाबत् नामान्तकरण नहीं खोलें, विपक्षी संख्या 08 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें। मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.09.2021 को जारी की गई।

विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से दिनांक 15.11.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का पेश किया गया जिसे मूल वाद में दिनांक 17.10.2024 को निर्णित किया गया एवं प्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का दिनांक 07.01.2022 व दिनांक 03.12.2024 को पेश किया गया जिसे दिनांक 31.01.2025 को स्वीकार किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी व सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी दिनांक 18.10.2024 को पेश किया गया, जिसे दिनांक 06.03.2025 को स्वीकार किया गया।

अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 19 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र में जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 15.09.2021 में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 9 के विरूद्ध जारी स्थगन आदेश को यथावत रखे जाने एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 19 को मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा विशिष्टीकृत भू भाग का अंतरण नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 9 द्वारा वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का अंतरण संबंधी दस्तावेज को पंजीकृत नहीं करने एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 19 द्वारा किसी विशिष्टीकृत भूभाग का बेचान नहीं करने से संबंधित दस्तावेज पेश करने पर पंजीकृत नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 9 के हक हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतू मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया गया।

विपक्षी संख्या 06 श्रीमती संजू पुत्री मदनलाल पत्नि भंवरलाल जाति विश्नोई आयु वयस्क निवासी विश्नोईयो के मन्दिर के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०) की ओर से अधिवक्ता श्री छोटू लाल जाट द्वारा मूल वाद में अधिकार पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 28.03.2022 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब एवं **कोश प्रार्थना पत्र** पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

24/5/26
...यक कलक्टर
भीलवाड़ा

ग्राम पुर पo हo पुर प्रथम तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजo) के खाता संख्या 3267 में स्थित आराजी नम्बर 7750 रकबा 0.4932 हैक्टेयर, 7751 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, 7752 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, 7753 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, 8277 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, 8278 रकबा 0.5311 हैक्टेयर, 8279 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 3279 में स्थित आराजी नम्बर 7748/1 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, 7749 रकबा 0.8852 हैक्टेयर, 7767/1 रकबा 0.2150 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.1208 हैक्टेयर भूमि सुखलाल पिता हजारी की है, जिसकी विरासत से 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 01 मदनलाल को एवं 1/2 हिस्सा मांगीलाल को प्राप्त हुआ. प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 02 लगायत 6. विपक्षी संख्या 01 की पुत्रीयां होकर सुखलाल पिता हजारी की पौत्रीयां है, जिनका जन्म से ही हक व अधिकार होकर दादाजी की सम्पति में बराबर हक हिस्सा एवं अधिकार प्राप्त है, किन्तु सुखलाल की विरासत में विपक्षी संख्या 01 मदनलाल कर्ता खान दान होने से उक्त भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज हुई, जो कि पैतृक सम्पति है, पैतृक सम्पति में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 03 लगायत 06 अपने हक व हिस्से अनुसार यानि विपक्षी संख्या 01 के नाम सुखलाल की विरासत से दर्ज हुई हक व हिस्से की भूमि में 1/6 हिस्सा अनुसार विपक्षी संख्या 06 संजू पुत्री मदनलाल पत्नि भंवरलाल जाति विश्नोई मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करती आ रहा है, जिसका विपक्षी संख्या 06 संजू विश्नोई को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में नाम अंकित किया जावें तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 06 संजू विश्नोई की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा एवं **क्रोश प्रार्थना पत्र** को रेकॉर्ड पर लिया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 19 की ओर से मूलवाद में वकालतनामा अधिवक्ता श्री शिवसिंह चारण द्वारा पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से पेश काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र का जवाब देने से इंकार का अंकन वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर किये जाने से जवाब काउण्टर क्लेम दिनांक 22.04.2025 को बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री अमित कोठारी द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी संख्या 10 व 12 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए तथा अप्रार्थी संख्या 11 के सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुए।

अप्रार्थी संख्या 3 व 12 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री अमित कोठारी द्वारा अण्डरटेकिंग दिनांक 14.05.2025 को प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री भैरू लाल बाफना द्वारा वकालतनामा दिनांक 08.07.2025 को पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 4, 7 व 8 के सम्मन बाद तामील दिनांक 01.08.2025 को प्राप्त हुए।

अप्रार्थी संख्या 9 व 12 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कोठारी द्वारा मूलवाद में वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कोठारी द्वारा अण्डरटेकिंग दिनांक 14.05.2025 को मूलवाद में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं करने व उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 07.10.2025 को अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 04 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने से प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 5 के सम्मन बाद तामिल दिनांक 09.02.2026 को प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 10 व 11 का जवाब दिनांक 18.02.2026 को पेश हुआ, जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की आदेशिका पर संशोधित प्रार्थना पत्र का जवाब देने से इंकार किया गया, जिस पर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.02.2026 को बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 के बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से दिनांक 23.03.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 12 का जवाब पेश नहीं होने से जवाब बंद किया गया।

21/5/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी सं० 10 व 11 की ओर से निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होना स्वीकार है जिसमें हम जवाबदाता विपक्षी सं. 10 व 11 का प्रत्येक का 1/12–1/12 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है और इसी हिस्से अनुसार हमारा कब्जा है।

राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया व विपक्षी सं. 3 से 6 अगर वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी भी है तो वे केवल अपने पिता विपक्षी सं. 1 मदनलाल के हिस्से में से ही अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में श्रीमती शांतिदेवी पुत्री सुखलाल विश्नोई पत्नी गणपतलाल विश्नोई निवासी बजरंगपुरा, पुर का 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज था जिसे हम जवाबदाता विपक्षी सं. 10 व 11 ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 25–05–2021 को क्रय कर लिया था जो हमारे नाम पर राजस्व अभिलेख में 1/12–1/12 हिस्से से दर्ज हो चुका है। हालांकि प्रार्थनापत्र में वर्णित सजरे अनुसार शांतिदेवी पुत्री सुखलाल विश्नोई का वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था किन्तु उसके नाम पर केवल 1/6 हिस्सा ही दर्ज हुआ है जो हमने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से आराजी संख्या 7748/1, 7749, 7750, 7751, 7752, 7753, 7767/1 8277, 8278, 8279 किता 10 रकबा 3.0729 हैक्टेयर क्रय कर लिया है। हम विपक्षी सं. 10 व 11 द्वारा क्रयशुदा कुल 1/6 हिस्से की भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं होते हुए भी प्रार्थीया द्वारा हम विपक्षीगण को अनावश्यक तौर से पक्षकार बनाकर हमारे कुलिया 1/6 हिस्से पर भी स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसे निरस्त कराया जाना आवश्यक है तथा हम विपक्षीगण सं. 10 व 11 को भी प्रार्थनापत्र से पक्षकार हटाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया हम विपक्षी सं. 10 व 11 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

प्रार्थीया का कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं है व सुविधा संतुलन भी उसके पक्ष में नहीं है, ये सभी बिन्दु हम जवाबदाता विपक्षीगण के पक्ष में है। प्रार्थीया कोई भी निषेधाज्ञा या किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, जिससे प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्तनीय है ।

वादग्रस्त आराजियात संख्या 7748/1, 7749, 7750, 7751, 7752 7753, 7767/1, 8277, 8278, 8279 किता 10 रकबा 3.0729 हैक्टेयर में श्रीमती शांतिदेवी पुत्री सुखलाल विश्नोई पत्नी गणपतलाल विश्नोई निवासी बजरंगपुरा, पुर का 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज था जिसे हम जवाबदाता विपक्षी सं. 10 व 11 ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 25–05–2021 को क्रय कर लिया था जो हमारे नाम पर राजस्व अभिलेख में 1/12–1/12 हिस्से से दर्ज हो चुका है। हालांकि प्रार्थनापत्र में वर्णित सजरे अनुसार शांतिदेवी पुत्री सुखलाल विश्नोई का वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था किन्तु उसके नाम पर केवल 1/6 हिस्सा ही दर्ज हुआ है जो सम्पूर्ण हमने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर लिया है। हम विपक्षी सं. 10 व 11 द्वारा क्रयशुदा कुल 1/6 हिस्से की भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं होते हुए भी प्रार्थीया द्वारा हम विपक्षीगण को अनावश्यक तौर से पक्षकार बनाकर हमारे कुलिया 1/6 हिस्से पर भी स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसे निरस्त कराया जाना आवश्यक है तथा हम विपक्षीगण सं. 10 व 11 को भी प्रार्थनापत्र से पक्षकार हटाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया हम विपक्षी सं. 10 व 11 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

प्रार्थीया को जवाबदाता विपक्षी सं. 10 व 11 के विरूद्ध कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है और ना ही प्रार्थीया द्वारा हमारे विरूद्ध कोई अनुतोष मांगा है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र हम जवाबदाता विपक्षी सं. 10 व 11 के विरूद्ध वाद हेतुक के अभाव में कानूनन पोषणीय नहीं होने से निरस्तनीय है।

24/6/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र सरासर असत्य व आधारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे और प्रार्थीया से हम विपक्षी सं. 10 व 11 को धारा 35 (ए) जा दी के तहत विशेष हर्जा–खर्चा प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 व 09 की ओर से प्रस्तुत कर सादर निवेदन हैं –

प्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र कानुनन कतई ठोस आधारों पर आधारित न हो काल्पनिक आधारों पर आधारित होने से अवश्यमेव ही खारिज होवेगा। इस कारण प्रार्थीया कोई किसी प्रकार से उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी न होने से प्रार्थनापत्र प्रार्थीया काबिल खारिजी के है।

प्रार्थीया ने विवादित जायदाद का उल्लेख किया है, जो सही है। लेकिन उक्त वर्णित जायदाद का विभाजन हो चुका है ।

प्रार्थीया ने सजरे अनुसार हस्तगत वादपत्र में शांति देवी व बदाम देवी को पक्षकार मुकदमा संयोजित नहीं किया है। ऐसी हालत में भी प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

प्रार्थीया का कोई किसी प्रकार से विवादित आराजियात में कानुनन कोई हक हिस्सा नहीं बनता है और न विवादित आराजियातों में कोई किसी प्रकार से प्रार्थीया का 1/6 हक–हिस्सा बनता है। ऐसी हालत में प्रार्थीया कोई किसी प्रकार से तथाकथित हक हिस्सेनुसार खातेदारी घोषणा कराने की कानुनन अधिकारिणी नहीं है। प्रार्थीया ने इस कलम में समस्त कथन अस्पष्ट व कयासी कथन दर्ज किये है, जिन्हें स्वंय अपने पुष्ट प्रमाणों से साबित करावे ।

प्रार्थीया ने इस कलम में पुनः विवादित आराजियात को पैतृक होना और विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज रेकॉर्ड हक हिस्से में अपना 1/6 हक हिस्सा होने, विपक्षी संख्या 01 के विपक्षी संख्या 02 के बकहावे में होने संबंधी कथन निराधार व मनगढ़न्त दर्ज किये है, जो उत्तरदाता विपक्षीगण को स्वीकार नहीं। प्रार्थीया का तथाकथित हक हिस्सेनुसार कोई कब्जा व दखल भी विवादित आराजियात पर नहीं है। इसके अलावा प्रार्थीया का इस कलम में यह अंकित करना कि विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी संख्या 01 को बहकावट में लेकर उपकलम (क) में वर्णित विवादित आराजियात का उपहारपत्र निष्पादित करवा पंजीयन करवाया है, की लिखना सर्वथा गलत व झूठ है । बल्कि विपक्षी संख्या 01 ने राजीखुशी प्रसन्न्ता से अपने स्वविवेक व स्थिरबुद्धि से विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में विवादित आराजियातों के संबंध में रजिस्टर्ड उपहारपत्र निष्पादित करा कब्जा सिपुर्द किया है, जिसमें कोई किसी प्रकार से अवैधानिकता नहीं की है क्योंकि विवादित आराजियात विपक्षी संख्या 01 के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर स्वअर्जित है । इतना ही नहीं विपक्षी संख्या 02 ने जायज प्रतिफल प्राप्त कर विवादित आराजियात विपक्षी संख्या 09 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है। ऐसी हालत में प्रार्थीया कोई किसी प्रकार से उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रयपत्र को निरस्त कराने की कानुनन अधिकारिणी नहीं है और न उक्त दस्तावेज प्रार्थीया के मुकाबले प्रभावहीन व शुन्य है। ऐसी हालत में प्रार्थीया कोई किसी प्रकार उत्तरदाता विपक्षीगण व रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा व विपक्षी संख्या 09 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को प्रार्थीया के हक हिस्से तक अवैध, शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने की कानुनन अधिकारिणी नहीं है।

प्रार्थीया का जब कोई किसी प्रकार से विवादित आराजियात पर कब्जा व दखल ही नहीं है तो फिर उत्तरदाता विपक्षीगण द्वारा इस कलम में अंकित तिथी अथवा अन्य किसी तिथी मिती को बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। गरज कि प्रार्थीया को उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण इस कलम में अंकित तिथी मिती से उत्पन्न नहीं हुआ है व न हो रहा है। ऐसी हालत में भी प्रार्थीया का वाद कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है ।

24/5/26

सहायक कलक्टर

प्रार्थीया/वादीया का प्रथमदृष्टया मामला किसी प्रकार से नहीं है और जब प्रार्थीया का प्रथमदृष्टया मामला ही नहीं है और न सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है तथा न ही प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की अपूरणनीय क्षति हो रही है। उत्तरदाता विपक्षीगण विवादित आराजियात की रेकॉर्डेड खातेदार है और कानुनन रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के प्रार्थीया अधिकारी नहीं है और न ही कानूनन खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ही जारी की जा सकती है। ऐसी हालत में भी प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

प्रार्थीया कोई किसी प्रकार की राहत उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध प्राप्त करने के कानुनन अधिकारिणी नहीं है। प्रार्थीया ने यह प्रार्थनापत्र निराधार मात्र उत्तरदाता विपक्षीगण को परेशान, जलील व तंग कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से सर्वथा गलत एवं झुठा पेश किया है, जो सारहीन होने से काबिल खारिजी के है ।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

अपना कथन

प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष क्लीन हेण्ड से नहीं आयी हैं और सही व वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये हस्तगत वादपत्र निराधार पेश किया है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

मामले में वास्तविकता इस प्रकार है कि विवादित आराजियात कोई किसी प्रकार से पुश्तैनी आराजियात नहीं है बल्कि विपक्षी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजियात है। इसके अलावा विपक्षी संख्या 01 अपने परिवार के कर्ता परिवार थे। जिन्हें विवादित आराजियात व अन्य चल–अचल सम्पदाओं के संबंध में हर प्रकार से निर्णय लेने का हक अधिकार प्राप्त था। विपक्षी संख्या 01 ने विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में विवादित आराजियात के संबंध में रजिस्टर्ड उपहारपत्र अपनी स्वंय की इच्छा व विवेक से निष्पादित करा कब्जा सिपुर्द किया है । जिसमें विपक्षी संख्या 02 अथवा अन्य किसी ने विपक्षी संख्या 01 को बहलाया–फुसलाया नहीं है। तदुपरान्त विपक्षी संख्या 02 ने जायज प्रतिफल प्राप्त करते हुये विवादित आराजियात विपक्षी संख्या 09 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से विकय की है। जिस आधार पर विवादित आराजियात विपक्षी संख्या 09 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज हुई है। ऐसी हालत में प्रार्थीया कानुनन कोई किसी प्रकार से उत्तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध राहत प्राप्त करने की कानुनन अधिकारिणी नहीं है । ऐसी हालत में भी प्रार्थीया का वाद व प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है ।

विपक्षी संख्या 09 विवादित आराजियात का बोनाफाईड परचेजर है और बाद खरीद विवादित आराजियात पर काबिज हो उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं। प्रार्थीया ने अपने वाद में कब्जे की कोई दाद भी नहीं चाही है और न प्रार्थीया का विवादित आराजियात पर कोई किसी प्रकार से कब्जा व दखल ही है। ऐसी हालत में भी प्रार्थीया कोई किसी प्रकार से विपक्षी संख्या 09 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त कराने की कानुनन अधिकारिणी न होने से वाद व प्रार्थनापत्र प्रार्थीया काबिल खारिजी के है।

यहाँ यह लिखना भी प्रासंगिक है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड गिफ्टडीड को कोई किसी प्रकार से निरस्त कराने की दाद नहीं चाही है। उक्त रजिस्टर्ड गिफ्टडीड के आधार पर ही विपक्षी संख्या 02 को विवादित आराजियात के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। जिस आधार पर विपक्षी संख्या 02 ने विवादित आराजियात बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र जायज प्रतिफल प्राप्त करते हुये विपक्षी संख्या 09 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है। प्रार्थीया मात्र उक्त रजिस्टर्ड विकयपत्र को प्रार्थीया, हस्तगत वादपत्र के माध्यम से निरस्त कराना चाह रही है, जो कतई विधी सम्मत् नहीं है और रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त करने का अधिकार क्षेत्र न्यायालय श्रीमान् का नहीं होने से वाद व प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

24/6/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:—

1. **प्रथम दृष्टया मामला :—**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी संख्या 7750, 7751, 7752, 7753, 8277, 8278, 8279 कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टयर एवं खाता संख्या 3279 की आराजी संख्या 7748/1, 7749, 7767/1 कुल किता 03 कुल रकबा 1.1128 हैक्टयर भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 3 लगायत 6 की पैतृक कृषि आराजियात है जो विपक्षी संख्या 1 को उसके पिता मदनलाल पुत्र सुखलाल से जरिये विरासत प्राप्त हुई थी। विरासत के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त होने से प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 3 लगायत 6 प्रत्येक का 1/6–1/6 हक हिस्सा है और प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीया का वादग्रस्त संपत्ति में विपक्षी संख्या 1 के नाम ग्राम पुर की आराजी संख्या 7750, 7751, 7752, 7753, 8277, 8278, 8279 कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टयर में 2/3 हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्सा प्रार्थीया का होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होता है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी संख्या 7750, 7751, 7752, 7753, 8277, 8278, 8279 कुल किता 07 कुल रकबा 1.9601 हैक्टयर भूमि में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जरिये पंजीकृत उपहार अंतरित कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में विपक्षी संख्या 1 द्वारा किया गया अंतरण प्रार्थीया के हक हिस्से तक प्रारम्भ से शून्य व अवैध है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होता है।

अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थीया के तथ्यों की तारीफ करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त संपत्ति में अप्रार्थी संख्या 6 का अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्सा है। अतः वादग्रस्त संपत्ति में प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 के हक हिस्से की हद तक प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रमाणित होता है।

अप्रार्थी संख्या 10, 11, 13 लगायत 19 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 10, 11, 13 लगायत 19 के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 9 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा वादपत्र की कलम संख्या 3 में अप्रार्थी संख्या 1 के कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त संपत्ति स्वयं की पैतृक आराजीयात कोपार्सनरी सम्पत्ति होने के आधार पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त संपत्ति उसकी चार पीढियों से प्राप्त होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त संपत्ति स्वयं की पैतृक आराजीयात कोपार्सवरी सम्पत्ति साबित करने में सफल नहीं रही है। अतः प्रार्थीया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रही है।

25/3/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त संपत्ति स्वयं की पैतृक आराजीयात कोपार्सनरी संपत्ति साबित करने में असफल रही है। अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रही है।

2. <u>सुविधा का संतुलन</u> :–

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त संपत्ति प्रार्थीया की पैतृक संपत्ति होने से प्रार्थीया का हक हिस्सा वादग्रस्त संपत्ति में निहित है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत उपहार पत्र तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रार्थीया के अधिकार प्रभावित होते है। अतः प्रार्थीया अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु साबित करने में सफल रही है।

अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त संपत्ति में उसके द्वारा अपने 1/6 हक हिस्से की घोषणा हेतु कोश वाद पेश किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 6 के पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रमाणित होता है।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 9 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीया द्वारा सिविल न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे सिविल न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के अन्तर्गत खारिज किया जा चुका है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र विधिक रूप से अस्तित्व में है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र एवं पश्चातवर्ती दस्तावेज पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रभाव में होने से प्रार्थीया अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रही है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया जो खारिज हो चुका है तथा वर्तमान में पंजीकृत उपहार पत्र व पश्चातवर्ती विक्रय पत्र विधिक रूप से अस्तित्व में है। अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु साबित करने में असफल रही है।

3. <u>अपूरणीय क्षति</u> :–

प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 9 द्वारा यदि वादग्रस्त संपत्ति का दौराने वाद अंतरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई अर्थ से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः प्रार्थीया के पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित होता है।

अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र की ताहीद करते हुए वादग्रस्त संपत्ति में स्वयं के हक हिस्से की हद तक दौराने वाद अंतरण होने पर अपूरणीय क्षति साबित होने का निवेदन किया।

24/5/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 9 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने अधिकारों का परित्याग अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में वादपत्र प्रस्तुतीकरण से पूर्व किया जा चुका है और उक्त उपहार पत्र वर्तमान में अस्तित्व में है। अप्रार्थी संख्या 2 को उपहार पत्र से संपत्ति प्राप्त होने व अप्रार्थी संख्या 9 के पंजीकृत विकय पत्र से केता होने के कारण वादग्रस्त संपत्ति में उनके अधिकार उत्पन्न हो चुके है। अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 पंजीकृत उपहार पत्र के आधार पर तथा अप्रार्थी संख्या 9 पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपने अधिकार निहित कर चुके है। अतः प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 6 वादग्रस्त संपत्ति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया वादग्रस्त संपत्ति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रही है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 212 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है एवं प्रार्थीया के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.09.2021 को समाप्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

24/11/26

(अरूण कुमार जैन)
[redacted]कलक्टर
भीलवाडा